

By e-mail  
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर  
क्रमांक: प.8(ड.)( ) (विधि) स्वा.शा./2023/691

दिनांक: 21-6-2023

अधिसूचना

विभागीय आदेश क्रमांक: प.8(ड.)( ) (विधि) स्वा.शा./23/615 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा नगर पालिका कानोड (उदयपुर) में क्रमांक-2 में सहवृत सदस्य श्रीमती मीनाक्षी कामरिया पत्नी श्री अनिल कामरिया को मनोनीत किया गया था। उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता बताए जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री सुनिल शर्मा निवासी कानोड (दूरभाष नं0 9413423103) को सहवृत सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 21-6-2023

क्रमांक: प.8(ड.)( ) (विधि) स्वा.शा./2023/692-704

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

101. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, /मां. मंत्री महोदय स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
102. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
103. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
104. संभागीय आयुक्त, / जिला कलेक्टर, उदयपुर।
105. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
106. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
107. निदेशक /अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग 6(क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
108. उपखण्ड अधिकारी ..... को प्रेषित कर लेख है कि मनोनित सदस्य को एक माह में शपथ पत्र दिलवाने की कार्यवाही करे।
109. अधिशाषी अधिकारी नगरीय निकाय कानोड को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनित सदस्यो को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
110. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय /पी.आर.ओ. निदेशालय।
111. प्रोग्रामर, (आई टी सैल) निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
112. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी